

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: 156 / सं0क0 / 2022-23

लखनऊ

दिनांक 06 मई, 2022

विषय: मनोरंजन के सेवा प्रदाताओं से समुचित माल और सेवाकर उद्ग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मनोरंजन के विभिन्न साधनों के संचालन हेतु लाइसेंस/अनुमति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 01 जुलाई, 2017 से माल और सेवाकर (GST) की व्यवस्था लागू होने के कारण इन साधनों पर मनोरंजन कर के स्थान पर माल और सेवाकर (GST) देय है। सन्दर्भित व्यवस्था के अन्तर्गत किसी सेवा प्रदाता के GSTIN में पंजीयन हेतु थ्रेशोल्ड सीमा (Threshold Limit) ₹0 20 लाख है। जी0एस0टी0 संग्रह के विगत वर्षों के आंकड़ों से यह विदित होता है कि मनोरंजन के सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित जी0एस0टी0 की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित केबिल आपरेटर्स, डी0टी0एच0 सेवा प्रदाता तथा मनोरंजन के जिन सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस/अनुमति जारी की गयी है और वह थ्रेशोल्ड सीमा (Threshold Limit) के अन्तर्गत आते हैं, की जांच कराकर यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा नियमानुसार देय माल और सेवाकर (GST) राजकोष में जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मिनिस्ती एस0)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

3. समस्त-डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर विभाग), उत्तर प्रदेश।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।